

UPSIDA (यूपीसीडा) कार्यालय द्वारा साइट ऑफिस भवन में "ट्रांस गंगा सिटी परियोजना" पर दिनांक 18 जून, 2021 को आयोजित बैठक में मर्चेट्स चेम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश को आमंत्रित किया गया था। मर्चेट्स चेम्बर की ओर से अध्यक्ष श्री मुकुल कुमार टंडन एवं उपाध्यक्ष श्री अतुल कनोडिया एवं अन्य गणमान्य सदस्यों ने यूपीसीडा की बैठक में सक्रियता से सहभागिता दर्ज की।

आयोजित की गयी बैठक में यूपीसीडा कार्यालय द्वारा ट्रांस गंगा सिटी परियोजना के क्रमबद्ध विकास जैसे परियोजना का विस्तृत ब्यौरा सहित संभावित निवेश के लिए आवश्यक निवेश व शर्तों को विस्तृत रूप से पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण द्वारा साझा किया गया। **मर्चेट्स चेम्बर यह समझता है कि ट्रांस गंगा सिटी परियोजना पर आधारित प्रस्तुतीकरण में कुछ बिन्दु ऐसे हैं जो भ्रमात्मक स्थिति में हैं अथवा अभी और स्पष्टीकरण होना चाहिए जो कि निवेशकर्ताओं के मध्य निवेश का एक सुगम वातावरण विकसित करेगा जिसके परिणाम स्वरूप, निर्बाध निवेश आकर्षित हो सकेगा।**

इसी सम्बन्ध में, आज दिनांक 23.06.2021 को सायं 05:00 बजे मर्चेट्स चेम्बर की इंडस्ट्री कमिटी द्वारा एक संवादात्मक बैठक आयोजित की गयी जिसमें निम्नलिखित बातों पर विस्तृत चर्चा हुयी जो मर्चेट्स चेम्बर द्वारा यूपीसीडा को एक सुझाव के रूप में प्रेषित किया जायेगा, कृपया ध्यान दें :-

### **यूपीसीडा को ट्रांस गंगा सिटी परियोजना पर चेम्बर द्वारा प्रस्तावित सुझाव**

- 1. लैंड रेट :** वर्तमान में लैंड रेट रुपया 10850 प्रति वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है जो कि बहुत अधिक प्रतीत होता है। संभावित निवेशों में अधिकांश हितधारक एम.एस.एम.ई. क्षेत्र से आते हैं, इसलिए एम.एस.एम.ई. क्षेत्र की निवेश क्षमता के अनुसार चेम्बर उक्त लैंड रेट को लगभग रुपया 8000 प्रति वर्ग मीटर तक करने के लिए प्रस्तावित करता है।
- 2. भुगतान की शर्तें :** वर्तमान में भुगतान को 12 अर्ध-वार्षिक किस्तों में देय किया जा सकता है. चेम्बर भुगतान को 20 अर्ध-वार्षिक किस्तों को प्रस्तावित करता है।
- 3. अधिग्रहित भूमि पर सड़क, सीवरज, बिजली, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं का बुनियादी ढांचे का विकास :** इन सुविधाओं को पूरा करने की समय-सीमा, नियम व शर्तों में नहीं सुझाई गई है। चेम्बर का प्रस्ताव है कि उक्त मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने के लिए एक समय-सीमा दी जानी चाहिए ताकि निवेशक / हितधारक तदानुसार अपने उद्यम शुरू करने की प्लानिंग कर सके।
- 4. अधिस्थगन अवधि (Gestation / Moratorium period) :** अर्ध-वार्षिक किस्त देय होने की तिथि निश्चित करने के लिए मोरेटोरियम पीरियड को उल्लेख नहीं किया गया है। चेम्बर यह प्रस्ताव करता है कि बुनियादी ढांचों सहित अन्य सुविधाओं का विकास पूरा होने तक के समय को अधिस्थगन अवधि में शामिल किया जाए तथा इस अवधि का ब्याज हितधारक से न वसूला जाय।
- 5 ब्याज दर :** ब्रोशर के अनुसार अर्ध-वार्षिक किस्त पर ब्याज की दर 12 प्रतिशत व अधिदेय पर 2 प्रतिशत जुर्माना होगा। वर्तमान में, अधिकतर बैंकों की एम.एस.एम.ई. सेक्टर में टर्म लोन ब्याज की दर 8-9 प्रतिशत के आसपास है। चेम्बर का सुझाव है कि ब्याज दर 9 प्रतिशत व अधिदेय पर 1 प्रतिशत होनी चाहिए।

6. सम्मेलन केन्द्रों, होटलों, क्लबों आदि की व्यवस्था होनी चाहिए।
7. इकाइयों की स्थापना हेतु समय अवधि की गणना आधारभूत ढाँचा एवं अन्य सुविधाएँ (बिंदु संख्या. 3) तैयार होने के समय के बाद से ही करनी चाहिए।
8. इकाइयों की स्थापना के लिए विभिन्न विभागों से सभी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु एकल खिड़की सेवा की स्थापना की जानी चाहिए।

**निवेश / हितधारक के हित में मार्चट्स चेम्बर द्वारा यह निर्णय लिया गया कि चेम्बर उक्त सुझावों से यूपीसीडा कार्यालय को शीघ्रताशीघ्र अवगत कराएगा।**

आज की आयोजित बैठक में मार्चट्स चेम्बर के अध्यक्ष श्री मुकुल टंडन, उपाध्यक्ष श्री अतुल कनोडिया, इंडस्ट्री कमिटी के चेयरमैन श्री सुशील शर्मा, एक्सपोर्ट्स एवं इम्पोर्ट्स कमिटी के सलाहकार श्री आर के जालान, डॉ आइ.एम. रोहतगी, श्री आर.के. अग्रवाल, श्री श्याम मेहरोत्रा, श्री सुनील खन्ना, श्री कपिल भाटिया, श्री रूफी वाकी, श्री प्रेम मनोहर गुप्ता, श्री अनिल शरण गर्ग, चेम्बर के सचिव श्री महेंद्र नाथ मोदी ने सक्रियता से आपने विचार रखे।

धन्यवाद